

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

तुफैल मियां

बनाम

बिहार राज्य

2003 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं. 68

30 नवंबर 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील - भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 307/115 - हत्या का प्रयास - उकसाना - मनःस्थिति की आवश्यकताएँ - अभियोजन पक्ष धारा 115 आईपीसी के तहत उकसाने के आवश्यक तत्वों को स्थापित करने में विफल रहा। साक्ष्य से पता चला कि अपीलकर्ता द्वारा सह-अभियुक्तों को कथित उकसावे या आदेश का गवाहों द्वारा लगातार समर्थन नहीं किया गया था। "उकसाने" शब्द के लिए इरादे या ज्ञान के प्रमाण की आवश्यकता होती है, और बिना प्रत्यक्ष कारण के केवल उपस्थिति या मौखिक आदान-प्रदान पर्याप्त नहीं है। [संदर्भित: संजू उर्फ संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 5 एससीसी 371] (पैरा 32)

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 307 - हत्या का प्रयास - प्रयोज्यता - धारा 307 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए मृत्यु का कारण बनने के स्पष्ट इरादे की आवश्यकता होती है। सूचक को लगी चोटें गंभीर थीं, लेकिन उन्हें सह-आरोपी ने पहुँचाया था, जो किशोर था, न कि अपीलकर्ता ने। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ने या तो सीधे तौर पर चोटें पहुँचाई या उसका वास्तविक हमलावर के साथ साझा इरादा था [देखें: जगे राम बनाम हरियाणा राज्य, (2015) 11 एससीसी 366] (पैरा 14)

भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 323 - स्वेच्छा से चोट पहुँचाना - हालाँकि पीडब्लू-4 पर अपीलकर्ता द्वारा लाठी से वार करने का कुछ उल्लेख था, लेकिन चिकित्सा साक्ष्य केवल साधारण चोटों को साबित करते हैं। गवाहों की असंगतियों और रुचिपूर्ण प्रकृति को देखते हुए, और स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में, धारा 323 आईपीसी के तहत आरोप उचित संदेह से परे कायम नहीं रह सका। (पैरा 27)

आपराधिक प्रक्रिया - साक्ष्य की सराहना - इच्छुक और संबंधित गवाह - घायल गवाह (पीडब्लू-2, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5) एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए थे, और आरोप पत्र में नाम होने के बावजूद कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष

के गवाहों के बयानों में, खासकर हमले के क्रम और अपीलकर्ता की भूमिका के बारे में, भौतिक असंगतियों को नोट किया। [देखें: मनो दत्त बनाम यूपी राज्य, (2012) 4 एससीसी 79; यूपी राज्य बनाम नरेश, (2011) 4 एससीसी 324] (पैरा 26, 28-29)

आपराधिक मुकदमा - प्रति-मामला और अभियुक्त पर चोटें - प्रति-मामला और अपीलकर्ता पर चोटों की चिकित्सा रिपोर्ट का अस्तित्व, हालांकि पूरी तरह से रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, पीडब्लू-4 द्वारा पुष्टि की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता पर चोटों को स्वीकार करने या समझाने में विफलता ने अभियोजन पक्ष के संस्करण के बारे में उचित संदेह पैदा किया। (अनुच्छेद 30-31)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - संदेह का लाभ - जहां अभियोजन पक्ष के साक्ष्य गंभीर विसंगतियों, स्वतंत्र पुष्टि की कमी और विरोधाभासी गवाहों के बयानों से प्रभावित हैं, वहां संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दोषसिद्धि कानून के तहत टिकने योग्य नहीं थी। (पैरा 32-34)

अपील स्वीकृत हुई।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं : श्री अनुराग कुमार, न्यायमित्र

उत्तरदाता/ओं : सुश्री अनीता कुमारी सिंह, सहायक लोक अभियोजक

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2003 की आपराधिक अपील (ए.न्या.) सं.68**

थाना कांड संख्या-3 वर्ष-1990 थाना- दिघवारा जिला- सारण से उद्धृत

=====

तुफैल मियां, पिता- स्वर्गीय राज बालम मियां, निवासी गाँव- कुरैया, थाना-दिघवाड़ा, जिला- सारण ।

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं : श्री अनुराग कुमार, न्यायमित्र

उत्तरदाता/ओं : सुश्री अनीता कुमारी सिंह, सहायक लोक अभियोजक

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीख:30-11-2023

अपीलकर्ताओं/दोषियों तुफैल मियां और हदीस मियां उर्फ एडिस मियां द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं.111, छपरा द्वारा सत्र परीक्षण सं.418/1990 में दिए गए दिनांक 11.12.2002 के दोषसिद्धि निर्णय और दिनांक 13.12.2002 के दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील, जिसके तहत अपीलकर्ता/दोषी तुफैल मियां को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/115 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और 4 (चार) वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया और छह महीने की सजा सुनाई गई। दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था। अपीलकर्ता/दोषी, अर्थात् हदीस मियां उर्फ एडिस मियां को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. वर्तमान अपील वर्ष 2003 की है जिसे अंतिम सुनवाई के लिए 2018 से बोर्ड पर लिया गया था, लेकिन वर्तमान अपील को प्रेस करने के लिए अपीलकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और 28.04.2018 दिनांकित आदेश के माध्यम से भी न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि:

“तथापि, यदि सुनवाई की अगली तिथि पर अपीलकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय सहायता के लिए न्यायमित्र नियुक्त करने पर विचार करेगा।”

3. इसके बाद, मामले को कई मौकों पर सूचीबद्ध किया गया लेकिन फिर से कोई सामने नहीं आया। सुनवाई के दौरान, एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि क्या अपीलकर्ता/दोषी हदीस मियां उर्फ एडिस मियां जीवित है या नहीं, या इस न्यायालय के दिनांक 05.09.2023 के आदेश के अनुसार नहीं, जहाँ यह बताया गया था कि उक्त अपीलकर्ता/दोषी की मृत्यु पाँच वर्ष पूर्व दिल्ली में हो गई थी और तदनुसार, दिनांक 10.10.2023 के आदेश के अनुसार, अपीलकर्ता/दोषी हदीस मियां उर्फ एडीस मियां के विरुद्ध अपील निरस्त मानी जाती है। दिनांक 09.11.2023 के आदेश के अनुसार कोई विकल्प न होने पर, इस न्यायालय ने मामले में सहायता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार को न्यायमित्र नियुक्त किया।

4. अब वर्तमान अपील केवल अपीलकर्ता/दोषी तुफैल मियां तक ही सीमित है।

5. अभियोजन पक्ष का मामला सूचक/अ.सा.-5, अर्थात्, निजामुद्दीन मियां द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से उत्पन्न होता है कि 08.01.1990 को लगभग 1.30 बजे, जब अपीलकर्ता/दोषी तुफैल मियां अपने खेत से मिट्टी खोद रहा था और कुएँ के पास नाले को भर रहा था, उसी समय, वह घास का गट्ठर सिर पर रखे हुए आ रहा था। अपने खेत से खुदाई होते देख, सूचक/अ.सा.-5 ने इसका विरोध किया और अपीलकर्ता/दोषी से कहा कि

नाले को भरने के लिए नदी तल से मिट्टी खोदी जानी है, और, इस प्रकार, अपीलकर्ता/दोषी तुफैल मियां से खुदाई रोकने के लिए कहा। अपीलकर्ता/दोषी तुफैल मियां इस सलाह से सहमत नहीं हुआ और उसने कहा कि वह नाले को केवल अपनी मिट्टी से ही भरेगा, जिससे उनके बीच तीखी बहस हुई। इस बीच, अपीलकर्ता/दोषी हदीस मियां और अख्तर मियां (इस मामले में अपीलकर्ता नहीं) *गंडासा* लेकर आए और सूचक/अ.सा.-5 को गालियाँ देने लगे। सूचक ने इस गाली का विरोध किया और इस पर आरोपी अख्तर मियां ने सूचक/अ.सा.-5 की गर्दन पर *गंडासा* से वार किया, जिसे सूचक ने अपने बाएँ हाथ से रोकने की कोशिश की, जिससे उसे वहाँ चोट लग गई। उक्त चोटें बाएं अंगूठे से कलाई तक हैं। सूचक को गर्दन पर भी चोट आई है। सूचक/अ.सा.-5 ने आगे बताया कि तुफैल मियां (अपीलकर्ता/दोषी) के उकसावे/उकसाने पर, अख्तर ने उस पर फिर से *गंडासा* से वार किया, जिसे सूचक के भतीजे खालिक मियां (अ.सा.-4) ने पकड़ लिया। आगे बताया गया कि तुफैल मियां (अपीलकर्ता/दोषी) ने खालिद मियां (अ.सा.-4) पर लाठी से हमला किया। इस बीच, जरीना खातून (अ.सा.-2) अपने पति (अ.सा.-5) को बचाने आई और हदीस मियां (अपीलकर्ता/अभियुक्त - जिनकी वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई) ने उन पर भी लाठी से हमला किया। शोर मचने पर, पड़ोसी वहां आ गए और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता/अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए।

6. उपरोक्त, *फ़र्द-ए-बयान*/सूचक/अ.सा.-5 की लिखित जानकारी के आधार पर, पुलिस ने दिघवाड़ा थाना मामला सं.3/90 के साथ एक मामला दर्ज किया। जाँच पूरा होने के बाद, पुलिस ने उपरोक्त सभी तीन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जहाँ विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, छपरा ने अपराध का संज्ञान लिया और दं.प्र.सं. की धारा 207 के अनुपालन के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 (संक्षेप में दं.प्र.सं.) के तहत मुकदमे के लिए इस मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

7. विद्वान विचारण न्यायालय ने जाँच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर, अपीलकर्ताओं/दोषियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 307, 109 और 307 के अंतर्गत दिनांक 9 सितंबर, 1993 के आदेश द्वारा आरोप तय किए, जिन्हें अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों को पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और परीक्षण के लिए दावा किया गया।

8. अपने मामले को साबित करने के लिए, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों से पूछताछ की, जो हैं: अ.सा.-1 मोहम्मद जाबिर हुसैन, अ.सा.-2 जरीना खातून, अ.सा.-3 मोहम्मद मुस्तकीम, अ.सा.-4 मो. खालिद, अ.सा.-5 निजामुद्दीन मियां, जो इस मामले के सूचक हैं, अ.सा.-6 जीवनंदन राम, जो मामले के जांच अधिकारी हैं और अ.सा.-7 जयंत शेखर, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, ने घायल की जांच की।

9. अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान अपने मामले को साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का भी प्रदर्शन किया और वे इस प्रकार हैं:

1. प्रदर्श-1- प्राथमिकी पर जाबिर हुसैन के हस्ताक्षर ।
2. प्रदर्श-2 से 2/2- चोट रिपोर्ट हेतु अनुरोध।
3. प्रदर्श-3 से 3/3- निजामुद्दीन मियां (अ.सा.-5/सूचक), जरीना खातून (अ.सा.-2) और मोहम्मद खालिद (अ.सा.-4) की चोट रिपोर्ट।
4. प्रदर्श-4-औपचारिक प्राथमिकी।
5. प्रदर्श-5-न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, छपरा द्वारा पारित सी-93/1990 में दिनांक 25.02.1993 के निर्णय की प्रमाणित प्रति।

10. अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के बयान दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए जिनमें मुकदमे के दौरान सामने आए अपराध सिद्ध करने वाले साक्ष्य शामिल थे, जिनका उन्होंने खंडन किया और अपनी पूर्ण निर्दोषता प्रदर्शित की।

11. अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों द्वारा अपने बचाव में कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया गया, जबकि अपीलकर्ता/दोषी, अर्थात् तुफैल मियां, पिता- राज बलम मियां दिनांक 09.01.90 के फर्द-ए-बयान की छायाप्रति और उसकी दिनांक 09.01.90 की चोट रिपोर्ट की छायाप्रति, बचाव में क्रमशः प्रदर्शों-ए और बी के रूप में प्रदर्शित की गई।

12. मौखिक साक्ष्य और प्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता/दोषी, अर्थात् तुफैल मियां को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/115 के तहत और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत भी दोषी ठहराया, जहां अपीलकर्ता/दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/115 के तहत अपराध के लिए चार साल के कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने के बारे में कोई अलग आदेश नहीं है। दोषसिद्धि और सजा के उपरोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई।

13. अतः, वर्तमान अपील।

14. अपीलकर्ता/दोषी की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र श्री अनुराग कुमार ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि घायल अभियोजन पक्ष के गवाहों सहित सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों के हित प्रतीत हो रहे हैं और उनके बीच शत्रुतापूर्ण संबंध भी हैं, इसलिए उनकी गवाही, दोषी अपीलकर्ता/अभियुक्त अर्थात् तुफैल मियां के संबंध में पूरी तरह विश्वसनीय नहीं लग रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अ.सा.-1 भंज है, अ.सा.-2 पत्नी है, अ.सा.-3 बड़ा भाई है और अ.सा.-4 सूचक/घायल निजामुद्दीन मियां का भतीजा है, जिसकी जांच अ.सा.-5 के रूप में की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अ.सा.-5 की गवाही से, जो इस मामले के सूचक हैं और घायल भी हैं, यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता/दोषी तुफैल मियां की भूमिका केवल आरोपी अख्तर मियां को आदेश देने तक सीमित है कि वह गंडासा द्वारा उस पर हमला करे, जिसने बार-बार गंडासा मारा, जिससे उसे

कई चोटें आईं। विद्वान *न्यायमित्र* ने आगे बताया कि उपलब्ध मौखिक साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता/दोषी ने अ.सा.-4 पर लाठी से हमला किया, जिससे साधारण चोट लगी, जैसा कि अ.सा.-7 के बयान से भी प्रतीत होता है, जो एक डॉक्टर है और उसकी जांच की। विद्वान *न्यायमित्र* ने यह भी बताया कि अ.सा.-5 और अ.सा.-3 को छोड़कर, किसी भी अन्य घायल अभियोजन गवाह ने अपनी गवाही के माध्यम से घटना का समर्थन नहीं किया कि अपीलकर्ता/दोषी द्वारा अभियुक्त अख्तर हुसैन को आदेश देकर उकसाया/उकसाया गया था कि सूचक/अ.सा.-5 निजामुद्दीन मियां पर *गंडासा* से हमला किया जाए और इस प्रकार, इसमें कई भौतिक विरोधाभास हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सूचक ने भी अपने फर्द-ए-बयान के माध्यम से कहा है कि अपीलकर्ता/दोषी द्वारा सह-अभियुक्त अख्तर हुसैन पर हमला करने का आदेश देने से पहले, उसने पहले ही उस पर *गंडासे* से हमला कर दिया था और केवल तीसरे हमले का आदेश दिया गया था, जिसे अ.सा.-4, मोहम्मद खालिद ने रोक लिया था, लेकिन मुकदमे के दौरान इस संबंध में उसकी गवाही में सुधार हुआ प्रतीत होता है, जिससे पता चलता है कि सह-अभियुक्त अख्तर हुसैन द्वारा *गंडासे* से किए गए सभी हमले, उकसावे में आकर, अपीलकर्ता/दोषी द्वारा दिए गए थे। इस तरह के सभी विरोधाभासों को हाथ में रखते हुए, विद्वान *न्यायमित्र* ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत आरोप तय करने के लिए मुख्य विचार "मृत्यु कारित करने का इरादा" है, जिसे विभिन्न परिस्थितियों जैसे मकसद, कार्य करते समय अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त हथियार, शरीर के किस अंग पर चोट लगी, चोट की प्रकृति और वार की गंभीरता आदि से प्राप्त किया जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान *न्यायमित्र* ने *जगो राम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2015) 11 एससीसी 366* में दर्ज कानूनी रिपोर्ट का हवाला दिया।

15. विद्वान *न्यायमित्र* ने आगे कहा कि हालांकि अ.सा.-2 और अ.सा.-4 घायल गवाह हैं, लेकिन उनकी गवाही में बड़े विरोधाभास और विसंगतियां हैं, और इस तरह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिक रिपोर्टों के मद्देनजर इस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि *मनो दत्त एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले (2012) 4 एससीसी 79* में और *उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश एवं अन्य मामले (2011) 4 एससीसी 324* में रिपोर्ट किया गया है।

16. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने कहा कि घायल की गवाही से ऐसा प्रतीत होता है कि *गंडासा* द्वारा बार-बार हमला सह-आरोपी अख्तर हुसैन द्वारा किया गया था, जो उस समय तक नाबालिग था, जैसा कि पृष्ठ 59, पैरा 18 के माध्यम से विवादित फैसले से ही प्रतीत होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त की ओर से उकसावे/उकसाने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह निज़ामुद्दीन मियां नामक सूचक/घायल व्यक्ति की हत्या करने के इरादे से था, और इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता/दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/115 के तहत अपराध के लिए सही रूप से दोषी ठहराया।

17. अपीलकर्ता/दोषी और राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक की ओर से विद्वान *न्यायमित्र* द्वारा दिए गए तर्कों को सुना। विचारण न्यायालय के अभिलेख और कार्यवाही का भी अध्ययन किया गया। साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने के उद्देश्य से अभिलेख पर उपलब्ध प्रासंगिक साक्ष्यों पर चर्चा करना उचित होगा।

18. अ.सा.-1 मोहम्मद जाबिर हुसैन हैं, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान यह गवाही दी कि अभियुक्त अख्तर मियां ने निज़ामुद्दीन (सूचक/अ.सा.-5) की गर्दन पर फरसा से वार किया था जिसे उसके दाहिने हाथ ने रोक लिया था, बाद में, उसने इन्कार किया और गवाही दी कि उसे बाएँ हाथ से रोका गया था। आगे यह भी गवाही दी गई है कि दूसरा हमला भी उसी ने किया था, जो सूचक/अ.सा.-5 की गर्दन पर लगा, और उसके बाद,

अपीलकर्ता/दोषी, अर्थात् तुफैल ने सूचक को मारने का आदेश दिया और जब तीसरा वार किया गया, तो उसे खालिद (अ.सा.-4) ने पीछे से पकड़ लिया। यह बयान दिया गया है कि तीसरा वार भी जरीना खातून (अभियुक्त-2) ने किया था। यह भी बयान दिया गया है कि हदीस ने जरीना खातून (अभियुक्त-2) पर लाठी से हमला किया, जिससे उसकी पीठ पर चोट आई। तुफैल (अपीलकर्ता/दोषी) ने खालिद (अ.सा.-4) पर लाठी से हमला किया, जिससे उसकी दाहिनी कोहनी और बाएँ पैर में चोट आई। यह भी कहा गया है कि घटना को कई सह-ग्रामीणों ने देखा था। उसने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त/अपीलकर्ता की पहचान की।

18.1 प्रति-परीक्षण पर, उनके द्वारा यह कहा गया था कि वह भूखंड संकेतों के बारे में नहीं कह सकते हैं, जहां से मिट्टी खुदाई की जा रही थी, लेकिन उसके पास, सूचक निजामुद्दीन का घर है। उन्होंने झूठ बोलने से इनकार कर दिया।

19. **अ.सा.-2** जरीना खातून है, जो सूचक/अ.सा.-5 की पत्नी है। वह घटना की घायल चश्मदीद गवाह प्रतीत होती है। उसने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान गवाही दी कि अपीलकर्ता/दोषी के आदेश पर अख्तर ने उसके पति (अ.सा.-5) पर गंडासे से हमला किया। गवाही में यह भी कहा गया कि गंडासे का दूसरा वार उसके पति के सिर पर हुआ, जबकि गंडासे का तीसरा वार खालिद मियां (अ.सा.-4) ने किया। यह बयान दिया गया कि अभियुक्त/अपीलकर्ता तुफैल ने खालिद (अ.सा.-4) पर लाठी से हमला किया, जो उसकी दाहिनी कोहनी और बाएँ पैर पर लगी। उसने यह भी बयान दिया कि सह-अभियुक्त हदीस ने उस पर लाठी से हमला किया, जो उसकी पीठ पर लगी। उसने घटना के बाद सीधे दिघवारा थाना जाकर अपना बयान दर्ज कराया, जहाँ उसके पति (अ.सा.-5) ने मामला दर्ज कराया और बाद में थाना से उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहाँ उनका इलाज किया गया। उसने विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों की पहचान की।

19.1 प्रति-परीक्षण के दौरान, उसने अपने घर के पास अपीलकर्ता/दोषी द्वारा मिट्टी खोदने की बात कही और उसका समर्थन किया। उसने गवाही दी कि घटना के दौरान सूचक और अ.सा.-4 आदि ने अपीलकर्ता/दोषी पर हमला नहीं किया। उसने इस बात से भी इनकार किया कि घटना के दौरान सूचक और अन्य लोगों के कारण अपीलकर्ता/दोषी को सिर में चोट लगी थी। उसने कहा कि उसने घटना के दौरान अपीलकर्ता/दोषी पर कोई चोट नहीं देखी। उसने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने और पुलिस को अपना बयान देने से भी इनकार किया। यह कहा गया कि अपीलकर्ता/दोषी तुफैल ने उस पर हमला नहीं किया। उसने यह भी गवाही दी कि खालिद (अ.सा.-4) पर सह-आरोपी हदीस ने हमला नहीं किया था।

20. अ.सा.-3, मोहम्मद मुस्तकीम मिया हैं, जो सूचक के बड़े भाई हैं। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण के माध्यम से घटना की तारीख और समय का समर्थन किया और गवाही दी कि तुफैल (अपीलकर्ता/दोषी) के आदेश पर, सह-अभियुक्त अख्तर ने निजामुद्दीन (सूचक/अ.सा.-5) पर फरसा से वार किया, जिससे उसे बचाने के दौरान उसके बाएँ हाथ पर चोट आई, जबकि फरसा का दूसरा वार उसकी गर्दन पर किया गया, लेकिन तीसरा वार खालिद (अ.सा.-4) ने पीठ से किया और उसके बाद, तुफैल (अपीलकर्ता/दोषी) ने खालिद (अ.सा.-4) पर लाठी से हमला किया, जो उसकी दाहिनी कोहनी और बाएँ पैर पर लगी। गवाही दी गई कि जब अ.सा.-2, निजामुद्दीन (सूचक/अ.सा.-5) की पत्नी बचाव के लिए आई, तो हदीस मियां ने उस पर हमला किया। प्रति-परीक्षण में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि तुफैल (अपीलकर्ता/दोषी) घटना के दौरान घायल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि घायल निजामुद्दीन को दिघवारा अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि तुफैल ने उसी घटना के संबंध में एक झूठा मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था।

21. अ.सा.-4 मोहम्मद खालिद हैं, जो सूचक के भतीजे हैं और एक घायल गवाह भी हैं। उन्होंने गवाही दी कि अख्तर ने अपने चाचा निजामुद्दीन पर फरसे से हमला किया, जिसे उन्होंने हाथ से रोका, जिससे उनके हाथ में चोट आई। फरसे का दूसरा वार गर्दन पर किया गया, जबकि तीसरा वार उन्होंने पीठ से पकड़ा और उसके बाद तुफैल (अपीलकर्ता/दोषी) ने उन पर लाठी से हमला किया, जिससे उनके हाथ और पैर में चोटें आईं। जब अ.सा.-2 उन्हें बचाने आईं, तो सह-अभियुक्त हदीस ने उनकी पीठ पर लाठी से हमला किया। गवाही में कहा गया कि तीनों घायलों को इलाज के लिए दिघवारा अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि उनके चाचा निजामुद्दीन छह दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। उन्होंने मुकदमे के दौरान अदालत में अपीलकर्ता/दोषी की पहचान की।

21.1 प्रति-परीक्षण के दौरान, उनके द्वारा यह कहा गया था कि अपीलकर्ता/दोषी तुफैल मियां को घटना के दौरान कोई चोट नहीं लगी थी। उसके द्वारा कहा गया था कि उसने पुलिस के समक्ष बयान नहीं दिया क्योंकि तुफैल (अपीलकर्ता/दोषी) ने उसकी चाची (अ.सा.-2) पर हमला किया था। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि वर्तमान घटना से बचने के लिए, अपीलकर्ता/दोषी द्वारा उसे अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ सूचक निजामुद्दीन मियां, मुस्तकीम मियां आदि के रूप में आरोपी बनाते हुए एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया है। यह कहा गया था कि उक्त मामले में तुफैल मियां (अपीलकर्ता/दोषी) का बयान अस्पताल में दर्ज किया गया था।

22. अ.सा.-5 निजामुद्दीन मियां हैं, जो इस मामले के सूचक हैं और उन्होंने जिरह के दौरान यह बयान दिया कि उन्होंने हदीस मियां, तुफैल मियां (अपीलकर्ता/दोषी) और अख्तर मियां के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था। उन्होंने घटना की तारीख और समय का समर्थन किया और गवाही दी कि जब उन्होंने तुफैल मियां (अपीलकर्ता/दोषी) से मिट्टी खोदने से मना किया, तो उन्होंने अपने भतीजे अख्तर मियां और बड़े भाई हदीस मियां को बुलाया, जहाँ उन्हें मारने के आदेश पर उनके भतीजे अख्तर ने उन पर गंडासे से

हमला किया। यह बयान दिया गया है कि अख्तर मियां ने उसके सिर पर *गंडासे* का पहला वार किया, जिसे उसके बाएँ हाथ ने रोक लिया, जिससे उसे चोट आई। दूसरा वार उसकी गर्दन पर किया गया और जब तीसरा वार करने की कोशिश की गई, तो उसे उसके भतीजे खालिद (अ.सा.-4) ने पीछे से पकड़ लिया, और उसके बाद, तुफैल मियां (अपीलकर्ता/दोषी) ने अपने भतीजे खालिद (अ.सा.-4) पर लाठी से हमला किया, जिससे उसके दाहिने हाथ कोहनी और बाएँ पैर में चोट आई और जब उसकी पत्नी जरीना खातून (अ.सा.-2) बचाव करने आई, तो सह-अभियुक्त हदीस मियां ने उसकी पीठ पर भी लाठी से हमला किया। उसने लिखित जानकारी पर हस्ताक्षर की पहचान की, जिसे प्रदर्श-1/1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने आगे यह भी गवाही दी है कि गवाह जोगेंद्र राय, राम बचन राय, तफीजुल मियां और रुदल राय उनके पक्ष में गवाही देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें अपीलकर्ता/दोषी ने अपने पक्ष में कर लिया है।

22.1 प्रति-परीक्षण के दौरान, उसने बताया कि वह आबकारी विभाग में कांस्टेबल है और छपरा में तैनात है। उसने बताया कि उसके दरवाजे (आंगन) से मिट्टी खोदी जा रही थी। उसने तुफैल मियां पर हमला करने से इनकार किया। उसने बताया कि तुफैल (अपीलकर्ता/दोषी) और हदीस ने उस पर हमला नहीं किया। उसने इस बात से इनकार किया कि घटना वाले दिन तुफैल (अपीलकर्ता/दोषी) घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती नहीं था और उसने उस पर कोई चोट नहीं देखी। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसने और अन्य लोगों ने नाली साफ करते समय तुफैल पर हमला किया था, लेकिन उसे ग्रामीणों ने बचा लिया और इस दौरान उसे चोट आई।

23. अ.सा.-6 जीवनदान राम हैं, जो इस मामले के जाँच अधिकारी हैं। उन्होंने घटना की तारीख और समय का समर्थन किया और गवाही दी कि मामला दर्ज करने के बाद उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और जाँच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह नहीं बताया कि कुएँ के पास किस तरफ रिफिलिंग चल रही थी। उन्हें

घटनास्थल पर खून के कोई निशान नहीं मिले। उन्होंने बताया कि निज़ामुद्दीन (सूचक/अ.सा.-5) ने जाँच के दौरान उनके सामने बताया कि सह-आरोपी अख्तर द्वारा किए गए उसी फरसा वार से उनके सिर और गर्दन पर चोट लगी थी।

24. अ.सा.-7 डॉ. जयंत शेखर हैं, जिन्होंने अ.सा.-2 अर्थात जरीना खातून, अ.सा.-4 अर्थात मो. खालिद और अ.सा.-5 निज़ामुद्दीन मियां की 08.01.90 को जांच की थी, जब वे दिघवारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपराह्न 3.40 बजे तैनात थे। सुविधा के लिए उनका बयान पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा और वह इस प्रकार है:-

(i) 10 इंच गहरा एक नुकीला घाव, जिससे पूरी अंतर्निहित हड्डी, पेरीओस्टियम, अंतर्निहित प्रमुख धमनी शिराएँ, तंत्रिकाएँ, बाएँ अंगूठे के अपठनीय मध्य भाग से लेकर बाएँ अग्रबाहु के मध्य भाग तक फैली हुई हैं। इस घाव से अंगूठे के मेटा कार्पो-फैलांजेस जोड़ पर प्रीवोस्टियम के नीचे हड्डी पर किसी काटने वाले हथियार का भी आभास होता है।

(ii) गर्दन के चेहरे के मध्य भाग की त्वचा तक 3 1/2 इंच गहरा एक नुकीला घाव। चोट सं.1 गंभीर थी, चोट सं.2 साधारण थी। चोट सं.1 गरासा के कारण हो सकती है।

2. उसी दिन शाम 4:00 बजे उन्होंने लगभग 19 वर्षीय मोहम्मद खालिक की जाँच की और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं।

(i) बाएँ निचले पैर के मध्य पार्श्व भाग पर 1 इंच x 1 इंच का चोट का निशान।

(ii) दाहिनी कोहनी के जोड़ के पार्श्व भाग पर 1 ½" x 1" x 1/2" की सूजन। दोनों चोटें लाठी जैसे कठोर, कुंद पदार्थ से लगी थीं।

3. उसी दिन शाम 4:10 बजे, उन्होंने लगभग 28 वर्षीय जरीना खातून की जाँच की और निम्नलिखित चोटें पाई:-

i. बाएँ हंसली के मध्य के नीचे पीठ के जोड़ पर 2" x 1 1/2" की सूजन।

ii. चेहरे के बाएँ जबड़े के उभार पर 1/2" x 1/2" का खरोंच। चोटें साधारण थीं जो संभवतः मुट्ठी या किसी कठोर कुंद पदार्थ, जैसे लाठी के गोल किनारे से लगी थीं।

25. उपर्युक्त मौखिक साक्ष्यों और प्रदर्शित दस्तावेजों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी स्वतंत्र गवाह घटना के पक्ष में गवाही देने नहीं आया, हालाँकि औपचारिक प्राथमिकी/आरोप-पत्र के अनुसार उन्हें शुरू में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में नामित किया गया था। अ.सा.-5 के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि वे अपीलकर्ता/दोषी पक्ष द्वारा प्रभावित हो गए थे, इसलिए वे अभियोजन पक्ष के पक्ष में गवाही देने में विफल रहे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अ.सा.-1 भतीजा है, अ.सा.-2 सूचना देने वाले की पत्नी है, अ.सा.-3 बड़ा भाई है, अ.सा.-4 घायल सूचक का भतीजा है, अ.सा.-5, जिसका नाम निजामुद्दीन है, मियां है और ये सभी रिश्तेदार हैं।

26. इस समय, **मनो दत्त एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 4 एससीसी 79** की कानूनी रिपोर्ट को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जहाँ पैरा 24 और 25 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:-

"24. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं की ओर से उठाया गया एक और तर्क यह है कि केवल मृतक के परिवार के सदस्यों से ही गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी और चूँकि वे हितबद्ध गवाह हैं, इसलिए उन पर

भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की और इसलिए, अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। यह तर्क भी बेबुनियाद है। सबसे पहले, परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति से गवाह के रूप में पूछताछ करने पर कानून में कोई रोक नहीं है। अक्सर, ऐसे मामलों में, जिनमें दोनों पक्षों के परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, परिवार का कोई सदस्य या कोई मित्र ही घायलों को बचाने आता है। केवल वही लोग ऐसे झगड़े में कूदकर और संकट को शांत करने की कोशिश करके खुद को चोट पहुँचाने का जोखिम उठाते हैं। इसके अलावा, जब गवाहों का बयान, जो रिश्तेदार हैं, या प्रभावित पक्ष के परिचित हैं, विश्वसनीय, भरोसेमंद, कानून के अनुसार स्वीकार्य है और अन्य गवाहों या अभियोजन पक्ष के दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पुष्ट है, तो न्यायालय के लिए ऐसे साक्ष्य को केवल इस आधार पर खारिज करने का शायद ही कोई कारण होगा कि गवाह परिवार का सदस्य या हितबद्ध गवाह या प्रभावित पक्ष का परिचित व्यक्ति था।

“25. ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ ऐसे गवाहों से पूछताछ करना अनिवार्य होगा, क्योंकि, घटना के घटित होने के समय, वे स्वाभाविक या घटना का पूरा विवरण देने वाले एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे। इस संबंध में, हम नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं। [(2007) 14 SCC 150]। इस न्यायालय ने एक आकस्मिक गवाह और एक स्वाभाविक गवाह के बीच स्पष्ट अंतर किया है। इन दोनों गवाहों पर भरोसा किया जाना चाहिए, बशर्ते कि उनके साक्ष्य विश्वसनीय और कानून के अनुसार स्वीकार्य हों।”

27. सूचक सहित अभियोजन पक्ष के पाँच गवाहों में से तीन घायल हैं, वे स्वयं अ.सा.-2, अ.सा.-4 और अ.सा.-5 हैं। सामान्यतः घायल गवाह को घटना का मुख्य गवाह माना जाता है, लेकिन अगर उनके बयान में भौतिक विरोधाभास हैं, तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

28. इस संदर्भ में, **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश एवं अन्य** की विधिक रिपोर्ट (2011) 4 एससीसी 324 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जहां पैरा-27 में निम्नानुसार टिप्पणी की गई थी:-

"27. एक घायल गवाह के साक्ष्य को, एक मुहरबंद गवाह होने के नाते, उचित महत्व दिया जाना चाहिए, इसलिए, उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। उसका बयान आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है और यह असंभव है कि उसने किसी और को झूठा फंसाने के लिए वास्तविक हमलावर को छोड़ दिया हो। एक घायल गवाह की गवाही की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता होती है क्योंकि उसे घटना के समय और स्थान पर चोटें लगी थीं और यह उसकी इस गवाही को पुष्ट करता है कि वह घटना के दौरान मौजूद था। इस प्रकार, एक घायल गवाह की गवाही को कानून में एक विशेष दर्जा दिया जाता है। गवाह अपने वास्तविक हमलावर को केवल किसी तीसरे व्यक्ति को अपराध के लिए झूठा फंसाने के लिए दंडित किए बिना नहीं छोड़ना चाहेगा। इस प्रकार, घायल गवाह के साक्ष्य पर तब तक भरोसा किया जाना चाहिए जब तक कि उसके साक्ष्य को बड़े विरोधाभासों और विसंगतियों के आधार पर खारिज करने का कोई आधार न हो। [जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2009) 9 एससीसी 719; बलराजे उर्फ त्र्यंबक वि. राज्य महाराष्ट्र के (2010) 6 एससीसी 673; और अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के माध्यम से । "

29. अ.सा.-1, जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, के बयान से यह प्रतीत होता है कि इस अपीलकर्ता/दोषी, अर्थात् तुफैल मियां द्वारा सह-अभियुक्त अख्तर मियां को घायल सूचक/अ.सा.-5, अर्थात् निजामुद्दीन को मारने के लिए फरसा से वार करने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। उसने कहा कि तीसरा वार खालिद (अ.सा.-4) और जरीना खातून (अ.सा.-2) दोनों ने पीछे से किया था, जबकि अ.सा.-2, जो अ.सा.-5/सूचक की पत्नी है, ने कहा कि अपीलकर्ता/दोषी के आदेश पर सह-अभियुक्त अख्तर ने उसके पति पर फरसा से वार किया। उसने कहा कि फरसा का तीसरा वार अ.सा.-4 खालिद मियां ने ही पीछे से किया था, न कि उसने। उसने घटना के दौरान अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की चोट लगने

से भी इनकार किया। अ.सा.-3 ने यह भी समर्थन किया कि सह-अभियुक्त अख्तर ने अपीलकर्ता/दोषी के आदेश पर सूचक पर फरसा से वार किया, जबकि अ.सा.-4, जो घायल चश्मदीद गवाह है और सूचक का भतीजा है, ने यह गवाही नहीं दी कि सह-अभियुक्त अख्तर द्वारा फरसा से वार अपीलकर्ता/दोषी के आदेश पर किया गया था, जबकि अ.सा.-5 सूचक/घायल ने परीक्षण के दौरान कहा कि फरसा से वार अपीलकर्ता/दोषी के आदेश पर किया गया था, इसलिए, अभियोजन पक्ष के पाँच गवाहों में से, अ.सा.-1 और अ.सा.-4 (घायल गवाह) ने परीक्षण के दौरान इस तथ्य का समर्थन नहीं किया कि फरसा से वार अपीलकर्ता/दोषी के उकसावे/उकसाने पर किया गया था।

30. यह अ.सा.-4 के निक्षेपण से प्रकट होता है, अर्थात्, मुहम्मद खालिद ने कहा कि घटना की उसी तारीख के लिए, अपीलकर्ता/दोषी ने उन्हें निजामुद्दीन (सूचक/अ.सा.-5), नजम मियां, मुस्तकीम मियां (अ.सा.-3) के साथ आरोपी बनाते हुए एक मामला भी दर्ज किया, जहां उन्हें बरी कर दिया गया है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि उक्त मामले के संबंध में अपीलकर्ता/दोषी तुफैल मियां का बयान अस्पताल में दिया गया था, जबकि अ.सा.-3 ने मुकदमे के दौरान यह भी कहा कि तुफैल ने भी उसी दिन हुई घटना के संबंध में एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया है, जबकि अ.सा.-2 ने इस बात से इनकार किया कि तुफैल (अपीलकर्ता/दोषी) को घटना के दौरान सूचक और खालिद मियां आदि के कारण कोई चोट लगी थी। उसने अपीलकर्ता/दोषी पर कोई चोट भी नहीं देखी। अ.सा.-5/सूचना देने वाले ने मुकदमे के दौरान यह भी कहा कि तुफैल (अपीलकर्ता/दोषी) उसी दिन घायल अवस्था में अस्पताल नहीं आया था और उसने भी उस पर कोई चोट नहीं देखी।

31. इस संदर्भ में, रक्षा के प्रदर्श ए और बी पर यात्रा करना उचित होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अ.सा.-4 के बयान को देखते हुए यह स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ता/दोषी द्वारा उसी घटना के संबंध में क्रॉस मामला दर्ज किया गया था और उसका बयान अस्पताल में ही दिया गया था। **प्रदर्श-बी** चोट की रिपोर्ट है, हालांकि इसे सी-93/1990

के परीक्षण के दौरान रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, लेकिन जहां तक अस्पताल में भर्ती होने का संबंध है, वही अ.सा.-4 द्वारा समर्थित प्रतीत होता है, जो घटना का एक घायल गवाह भी है। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि सूचक सहित इस मामले के अभियोजन पक्ष के गवाह दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए शत्रुतापूर्ण कार्यकाल में थे और इस प्रकार इच्छुक गवाह कहा जा सकता है, जो उनकी गवाही को विश्वसनीय नहीं बनाता है, जिस पर कार्रवाई की जा सकती है।

32. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक चर्चाओं के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 307/115 के अंतर्गत दोषसिद्धि साबित करने में विफल रहा। भडकाना, क्योंकि 'उकसाना' शब्द का अर्थ है उकसाना, आग्रह करना या आगे बढ़ाना या उकसाना, उत्तेजित, या किसी अनुचित कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना जो उस व्यक्ति ने अन्यथा नहीं किया होता, भडकाने के लिए सहमति देने हेतु *मनःस्थिति* होनी चाहिए और इसलिए, बिना जानकारी या इरादे के, उकसाना नहीं हो सकता जैसा कि *संजू उर्फ संजय सिंह उर्फ संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माना गया है, जिसकी रिपोर्ट (2002) 5 एससीसी 371* में दी गई है।

33. तदनुसार, अपील को संदेह के लाभ के तहत अनुमति दी जाती है।

34. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं.।।।, छपरा द्वारा सत्र परीक्षण सं.418/1990 में दिए गए दोषसिद्धि के दिनांक 11.12.2002 के आक्षेपित निर्णय और दिनांक 13.12.2002 के दंडादेश को दरकिनार किया जाता है। अभियुक्त/अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, अपीलकर्ता जमानत पर है, बरी होने पर, उनके जमानतदार और प्रतिभू दोषमुक्त हो जाते हैं।

35. पटना उच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति को, एतद्द्वारा, विद्वान न्यायमित्र श्री अनुराग कुमार को वर्तमान अपील के निपटारे में उनकी बहुमूल्य व्यावसायिक सेवा के लिए 5,000/- (पाँच हजार रुपये) का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

36. यदि कोई एलसीआर है, तो उसे इस निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया जाए। दंड के आदेश के अनुपालन में अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना, यदि कोई हो, उसे तुरंत वापस कर दिया जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

वीणा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।